



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(176)RSSB/अर्थना/प्रा.शि./अध्यापक/भर्ती/2025/

दिनांक :- E-Signed

संशोधित विज्ञप्ति

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा)(लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2025

बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा) (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम-1996, यथा संशोधित राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 एवं यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम-2014 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा) (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 06.11.2025 को विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये गये थे। जिसमें संस्कृत शिक्षा के पत्रांक राजकाज रेफरेन्स संख्या 18846156 दिनांक 14.11.2025 के क्रम में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा) (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2025 की विज्ञप्ति में बिन्दु संख्या 6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:- प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/संस्कृत शिक्षा (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2025 के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ में बिन्दु संख्या 6.1 के B. भाग को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

संस्कृत शिक्षा अध्यापक कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:-

B. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

Varishtha Upadhyaya (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (By Whatever name known.)





राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम-2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Varishtha Upadhyaya (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) with at least 45% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and procedure) Regulations-2002.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय (या इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

Varishtha Upadhyaya (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

अथवा

“वरिष्ठ उपाध्याय (या इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा) सहित शास्त्री/स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)”

Shastri/Graduation along with Varishtha Upadhyay (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) and 2 year Diploma in Elementary Education (By whatever name known).

तथा

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रा.अ.पा.प.) उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है।

नोट:—उच्च माध्यमिक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक पं. 7(13)/प्राशि/आयो/2019 दिनांक 20.12.2021 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थी राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/संस्कृत शिक्षा (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2025 में आवेदन हेतु पात्र होंगे:—

- (i) उमावि स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामलों में लागू नहीं होगी, जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29, जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।
- (ii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, उनके उमावि में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता है।

विशेष नोट:— उक्त संशोधन के अतिरिक्त पूर्व में जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 06.11.2025 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 07.11.2025 में अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगे।

सचिव



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(107)RSSB/अर्थना/प्राशि./अध्यापक/भर्ती /2022/

दिनांक : E-Signed

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को बोर्ड का संशोधित विज्ञापन संख्या 08/2025 दिनांक 07.11.2025 की प्रतियां प्रेषित करते हुए राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के आगामी अंक में विस्तृत विज्ञापन केवल एक बार प्रकाशित करवाने हेतु भेजा जा रहा है। उक्त समाचार पत्र के विज्ञापन प्रबन्धक से भी अनुरोध है कि बोर्ड का विज्ञापन नवीनतम संस्करण में हर हालात में प्रकाशित करें। साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रकाशित विज्ञापन कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) निम्नलिखित पते पर सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित विषय सामग्री की सत्यता की जांच की जा सके।
2. अर्थना अनुभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, पंचायतीराज (प्राशि), शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राज कॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (आर.आई.एस.एल) प्रथम तल सी ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302005 से अनुरोध है कि उक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया की आगामी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें।
8. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग, RSSB, जयपुर को विज्ञापन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

सचिव